(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/3007 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 31–7–17 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर जिला श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 5/2016–17 अपील

1– अमहद खॉ पुत्र सरदार खॉ
चम्बल कालोनी के पास मुरैना
2– हबीब पुत्र सरदारखां ग्राम वीरपुर
तहसील बीरपुर जिला श्योपुर ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– शमसुद्धीन पुत्र नबिया खॉ
2– मुन्ना खॉ पुत्र नबिया खॉ
सभी ग्राम बीरपुर तहसील बीरपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक आर0एस0सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 10–2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा प्रकरण 5/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–7–17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार बीरपुर के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम वीरपुर में भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 0.87 है. जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे क्रमांक 238 रकबा 4 वीघा 3 विसवा यानि 0.867 है. बना है उनकी एंव आवेदकगण की संयुक्त पैत्रिक भूमि है जिसमें हिस्सा 1/2 होकर मौके पर विभाजित होकर हिस्सा अनुसार काविज है। वादित भूमि के खातेदार नबिया

पुत्र लल्लूखॉ फोत हो गया है वह मृत नबिया के पुत्र होकर बैध वारिस है किन्तु चालू खसरा में नसीयत पुत्र लल्लूखां गलत दर्ज हो गया है इसलिये मूल नाम पूर्ववत नबिया पुत्र लल्लूखां दर्ज कर नविया खॉ के बैध वारिसों का नाम हिस्सा 1/2 भूमि पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार बीरपुर ने प्रकरण कमांक 6 अ 6 अ/15-16 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 14-10-16 पारित किया एंव अनावेदकगण का आवेदन संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत ग्राह्य योग्य न होना मानकर खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्रकरण कमांक 5/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-17 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बीरपुर की ओर पुनः जांच एंव कार्यवाही हेतु वापिस किया। अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा प्रकरण कमांक 5/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है :-

चूॅकि अपीलांट्गणों के व्दारा इस न्यायालय में अपील के साथ साथ सहपठित धारा 113 एंव 89 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र आंशिक रूप से ग्राह्य किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का पारित आदेश 14-10-16 निरस्त किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 एंव सहपठित धारा 32 में पुराने अभिलेखों की पूर्णतः जांच करें। चूॅकि राजस्व न्यायालय को पटवारी अभिलेखों में हुई त्रृटि सुधार करने का अधिकार है एंव अभिलेख को शुद्व रखने का भी दायित्व है।

अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय से स्पष्ट है कि उन्होंने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार को प्रकरण पुर्नजांच कार्यवाही के लिये प्रत्यावर्तित किया है। **म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित (संशोधन) कमांक 42 सन 2011 व्दारा संहिता की धारा 49 की उपधारा (3) के स्थान पर नवीन उपधारा (3) इस प्रकार स्थापित की गई है। -**

3. **पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसाकि आदेश पारित करने के लिये वह आवश्यक समझे :**

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा।

अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर का आदेश दिनांक 31-7-17 प्रत्यावर्तन आदेश है जो म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 48 में दी गई उक्तानुसार व्यवस्था के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर द्वारा प्रकरण 5/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वह अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 113 एवं 89 के तहत दिये आवेदन पत्र पर स्वस्तर से प्रकरण दर्ज कर पक्षकारों की सुनवाई कर निराकरण करें अथवा तहसीलदार बीरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6 अ 6 अ/15-16 में की गई अपूर्ण कार्यवाही की स्वस्तर से जॉच करें तथा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये अपील प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर